Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

File No. BP/2/2018/STGUP/ATOTH/RU-I

Dated: 30/01/2019

To,

1. The District Collector & Magistrate,
District – Varanasi,
(Uttar Pradesh).
Ph: 0542-2508585
E-mail: dmvar@nic.in

2. The Senior Superintendent of Police,
District – Varanasi,
(Uttar Pradesh).
Ph: 0542- 2502644
E-mail: sspvns-up@nic.in
(Mob: 9454400217)

Sub: Representation dated nil received from Shri Babloo Prasad & others, Village-Mehgaon (Pura), Pargana - Katehar, Tehsil - Pindara, District-Varanasi (Uttar Pradesh) regarding harassment on scheduled tribes by Govt. Officials and higher castes people of Village Mehgaon.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the Headquarters of National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi on 21/12/2018 at 12:00 Noon under the Chairmanship of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice- Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent to the NCST at the earliest.

Yours faithfully,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
Tel: 011-24641640.

Copy to:

Shri Babloo Prasad,
S/o Shri Surendra Prasad,
Village-Mehgaon (Pura),
Pargana - Katehar, Tehsil - Pindara,
District-Varanasi,
(Uttar Pradesh).

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website and also send the e-mail to concerned)

31/01/2019

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री बबलू प्रसाद व अन्य, ग्राम–महगांव (पुरा), परगना–कटेहर, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी (उत्तर प्रदेश) द्वारा सरकारी कर्मचारी एवं उच्च वर्ग के लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों का उत्पीड़न करने के प्रकरण के संबंध में सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में संबंधित जिलें के अधिकारियों एवं आवेदक के साथ बैठक का कार्यवृत्त।

(File No. BP/2/2018/STGUP/ATOTH/RU-I)

बैठक की तिथि : 21.12.2018 को 12:00 बजे

बैठक का स्थान : आयोग का मुख्यालय, दिल्ली

बैठक में भाग लेने वालों की सूची अनुबंध में है।

श्री बबलू प्रसाद व अन्य, ग्राम–महगांव (पुरा), परगना–कटेहर, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी (उत्तर प्रदेश) ने अपने अभ्यावेदन में सरकारी कर्मचारियों एवं उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न का मामला उठाया था। आयोग ने मामले में तथ्य तथा आख्या भेजने के लिए जिला अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला–वाराणसी को आवेदन को दिनाँक 29.05.2018 को अग्रसारित किया था। मामलें में जिला अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला–वाराणसी के कार्यालय से सूचना अप्राप्त थी।

आवेदकों ने माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से दिसंबर, 2018 में भेंट कर न्याय की गुहार की। माननीय उपाध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार दिनाँक 21.12.2018 को जिला अधिकारी, जिला–वाराणसी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला–वाराणसी एवं अभ्यावेदक श्री बबलू प्रसाद के साथ विचार–विमर्श हेतु बैठक आयोजित की गयी।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला–वाराणसी ने आख्या रिपोर्ट के साथ क्षेत्राधिकारी पिण्डरा को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। बैठक में जिला अधिकारी, जिला–वाराणसी एवं उनके प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। जिला अधिकारी, जिला–वाराणसी का पत्र संख्या 1026/17–विविध–टी0ए0सी0 दिनाँक 20.12.2018, क्षेत्राधिकारी पिण्डरा ने आयोग को प्रदान किया।

क्षेत्राधिकारी, पिण्डरा ने माननीय उपाध्यक्ष महोदया को अवगत कराया कि पुलिस विभाग द्वारा मामला न्यायालय में प्रषित किया जा चुका है जो विचाराधीन है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला–वाराणसी ने अपने पत्र संख्या एसपीपी–40(42)2018 दिनाँक दिसंबर 2018 में उल्लेख किया कि प्रेम सागर गोंड की मृत्यु के प्रकरण में वादी पक्ष को नियमानुसार आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु समाज कल्याण अधिकारी को दिनाँक 30.11.2016 को भेजा गया था जिसके बाद प्रथम किस्त रु0 4,12,500/– दिनाँक 27.12.2016 को एवं द्वितीय किस्त रु0 4,12,500/– दिनाँक 05.10.2017 को वादी पक्ष को प्रदान की जा चुकी है। जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण पर जिला अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। पुलिस विभाग द्वारा प्रकरण में वर्तमान में कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

जिला अधिकारी, जिला–वाराणसी के पत्र संख्या 1026/17–विविध–टी0ए0सी0 दिनाँक 20.12.2018 में उल्लेख किया गया ' कि दिनाँक 24.12.2018 को कलेक्ट्रेट में पक्षों की सुनवाई हेतु जिला स्तर स्क्रूटिनी कमेटी की बैठक जिला अधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में बुलायी गयी है। अतः पक्षों की सुनवायी के बाद ही प्रकरण में माननीय आयोग को आख्या भेजना उचित होगा।' अतः आयोग से निवेदन किया कि प्रकरण में कुछ और समय देने का कष्ट करें।

क्षेत्राधिकारी पिण्डरा ने बैठक में उपस्थित अभ्यावेदकों द्वारा उठायी गयी समस्याओं पर आश्वासन दिया और कहा कि वह किसी भी समय उनसे उनके कार्यालय में मिल सकते है। यदि कोई नवीन घटना घटित होती है तो उसके लिए अलग से पुलिस विभाग में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार
नई दिल्ली

क्षेत्राधिकारी पिण्डरा तथा अभ्यावेदकों के साथ विचार–विमर्श के उपरांत, आयोग ने निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने की अनुशंसा कीः–

(1) अभ्यावेदकों के जाति प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में, जिला अधिकारी, जिला–वाराणसी द्वारा दिनाँक 24.12.2018 को आयोजित बैठक में किए गए निर्णय के बारे में आयोग को एक मास के अन्दर रिपोर्ट भेजी जाए।

(2) आवेदकों के साथ, यदि कोई नवीन घटना घटित हुई है तो उस प्रकरण पर पुलिस विभाग में अलग से रिपोर्ट लिखाये।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
नई दिल्ली

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुबंध

(File No. BP/2/2018/STGUP/ATOTH/RU-I)

श्री बबलू प्रसाद व अन्य, ग्राम–महगांव (पुरा), परगना–कटेहर, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी (उत्तर प्रदेश) द्वारा सरकारी कर्मचारी एवं उच्च वर्ग के लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों का उत्पीड़न करने के प्रकरण के संबंध में सुश्री अनुसुईयां उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में संबंधित जिलें के अधिकारियों एवं आवेदक के साथ बैठक।

<u>प्रतिभागियों की सूची</u>

क्रम संख्या नाम और पद

I राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष (अध्यक्षता में)
2. श्री पी. टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
3. श्री आर. एस. मिश्र, वरिष्ठ अन्वेषक

II जिला अधिकारी, जिला–वाराणसी

III वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला–वाराणसी

श्री सुरेन्द्रनाथ यादव, क्षेत्राधिकारी, पिण्डरा

IV आवेदक

श्री बबलू प्रसाद